

Regarding removal of QCO BIS Certification on Cotton bales-Laid

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): भारत सरकार ने कपास गुणवत्ता नियन्त्रण आदेश 2023 लागू किया है। इसके द्वारा कपास की गांठों को बीआईएस में डाल दिया है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कपास एक प्राकृतिक रेशा है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय में इसकी कई प्रकार की किस्में बोई जाती हैं। हर वर्ष जलवायु और बीज के कारण विशेषताएं बदल जाती हैं। कपास इकाइयां केवल किसान की उपज का प्रसंस्करण करती है। जिनिंग ईकाई मानक जिनिंग पद्धतियों को अपना सकती हैं। कपास की गांठों में निर्दिष्ट बीआईएस मापदंडों को पूरा नहीं होने पर भी इसकी आर्थिक मूल्यों में कोई कमी नहीं आती है। बीआईएस अधिनियम में कहा गया है कि मापदण्ड के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, गिरफ्तारी जैसी बातें शामिल हैं। मेरा आग्रह है कि कपास की गांठों पर क्यूसीओ- बीआईएस के नियम को हटाया जाए।